संख्याः 01/2022/1389 /87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग   लखनऊः दिनांकः 03 जनवरी, 2022

विषयः-उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यो के संचालन हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2021-22 में मद संख्या-31 (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-3786/ उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0-बजट/2016, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के प्रस्तावित परियोजनाओं/कार्यो के क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत उ0प्र0 जैव ऊर्जा विकास बोर्ड में कार्यरत कार्मिकों के मानदेय के भुगतान हेतु मद संख्या-31 में प्राविधानित धनराशि रू0 54.00 लाख (रू0 चैवन लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-755/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2021, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा धनराशि रू0 13,50,000/-व शासनादेश संख्या-1138/87- अति0ऊ0स्रो0वि0/2021, दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 द्वारा रू0 13,50,000/-की धनराशि निर्गत की गयी थी। तद्नुक्रम में अवशेष बची धनराशि रू0 27.00 लाख में से आगामी मार्च, 2022 तक वेतन मद में धनराशि रू0 15,00,000/-(रू0 पन्द्रह लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक- “2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के लिये रू0 15,00,000/-(रू0 पन्द्रह लाख मात्र)” के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।